

CIRCULAR - 4086

Subject: Restructuring of the Six-Week Certificate Course in Sports Coaching into a Four-Week Certificate Course in Sports Coaching – reg.

In pursuance of the decision of the Academic Council of the Sports Authority of India, Netaji Subhas National Institute of Sports (NSNIS), Patiala, and as part of the ongoing efforts to further strengthen academic programmes and enhance the quality, effectiveness and delivery of professional training in sports coaching, the existing Six-Week Certificate Course (6WCC) in Sports Coaching has been restructured into a **Four-Week Certificate Course in Sports Coaching**, with a revised duration and mode of delivery.

2. Accordingly, the existing Six-Week Certificate Course in Sports Coaching shall stand discontinued in its present format. Henceforth, the course shall be conducted as a Four-Week Certificate Course in Sports Coaching, exclusively in offline (physical) mode, in accordance with the revised framework approved by the competent authority.
3. The first session of the restructured Four-Week Certificate Course in Sports Coaching shall be conducted during **May–June 2027**. The course shall be organised at the designated Course Centres, as notified by the competent authority.
4. The course shall be conducted exclusively in offline (physical) mode at the designated Course Centre, with physical attendance being mandatory for all participants. **No provision shall be made for participation through online, hybrid or any other mode.**
5. The detailed notification governing the conduct of the restructured course, including eligibility criteria, admission procedure, course structure, curriculum, schedule, designated Course Centres, intake capacity and other relevant terms and conditions, shall be issued separately in due course.
6. All concerned are hereby directed to take note of the aforesaid restructuring and ensure compliance with the revised framework while undertaking any activities pertaining to the course. The existing provisions governing the Six-Week Certificate Course shall not apply to the restructured course, except as may be specifically provided in the detailed notification issued separately.
7. This issues with the approval of the competent authority and shall come into force with immediate effect.


Sudheer Kumar Reddy O
Deputy Director (Academics)
SAI NS NIS, Patiala



Copy to:

1. The Principal, SAI LNCPE, Thiruvananthapuram.
2. The Regional Director, SAI NSSC, Bengaluru.
3. The Regional Director, SAI Thiruvananthapuram.
4. The Regional Director, SAI NSEC, Kolkata.
5. In-charge (Academics), SAI NSNIS, Patiala.
6. In-charge (Academics), SAI NSSC, Bengaluru.
7. In-charge (Academics), SAI NSEC, Kolkata.
8. In-charge (Academics), SAI LNCPE, Thiruvananthapuram.
9. I/C FOSS, NSNIS Patiala
10. SO to the DDG/Sr. Executive Director, SAI NSNIS, Patiala – for kind information.
11. Concerned File.

परिपत्र - 4086

विषय: खेल प्रशिक्षण में छह सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को चार सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में पुनर्गठित किए जाने के संबंध में।

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (NSNIS), पटियाला की अकादमिक परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ बनाने एवं खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और संचालन प्रणाली को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, खेल प्रशिक्षण में संचालित वर्तमान छह सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (6WCC) को संशोधित अवधि एवं संचालन पद्धति के साथ चार सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में पुनर्गठित किया गया है।

2. तदनुसार, खेल प्रशिक्षण में संचालित वर्तमान छह सप्ताह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अपने मौजूदा स्वरूप में बंद किया जाता है। अब से यह पाठ्यक्रम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधित रूपरेखा के अनुसार केवल ऑफलाइन (भौतिक उपस्थिति) माध्यम में चार सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा।

3. पुनर्गठित चार सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रथम सत्र मई-जून 2027 के दौरान आयोजित किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित निर्धारित पाठ्यक्रम केंद्रों पर संचालित किया जाएगा।

4. पाठ्यक्रम का संचालन निर्धारित पाठ्यक्रम केंद्र पर केवल ऑफलाइन (भौतिक) माध्यम से किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन, हाइब्रिड अथवा किसी अन्य माध्यम से भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

5. पुनर्गठित पाठ्यक्रम के संचालन को नियंत्रित करने वाली विस्तृत अधिसूचना, जिसमें पात्रता मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यचर्या, समय-सारणी, निर्धारित पाठ्यक्रम केंद्र, प्रवेश क्षमता तथा अन्य संबंधित नियम एवं शर्तें शामिल होंगी, उचित समय पर अलग से जारी की जाएगी।

6. सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पुनर्गठन का संज्ञान लें तथा पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी गतिविधि का संचालन करते समय संशोधित रूपरेखा का अनुपालन सुनिश्चित करें। छह सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर लागू वर्तमान प्रावधान पुनर्गठित पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होंगे, सिवाय उन प्रावधानों के जिन्हें अलग से जारी की जाने वाली विस्तृत अधिसूचना में विशेष रूप से लागू किया गया हो।

7. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सुधीर ओ

सुधीर कुमार रेड्डी ओ
उप निदेशक (अकादमिक)
साई एनएस एनआईएस, पटियाला

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्राचार्य, साई एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम।
2. क्षेत्रीय निदेशक, साई एनएसएससी, बेंगलुरु।
3. क्षेत्रीय निदेशक, साई, तिरुवनंतपुरम।
4. क्षेत्रीय निदेशक, साई एनएसएससी, कोलकाता।
5. प्रभारी (अकादमिक), साई एनएसएनआईएस, पटियाला।
6. प्रभारी (अकादमिक), साई एनएसएससी, बेंगलुरु।
7. प्रभारी (अकादमिक), साई एनएसएससी, कोलकाता।
8. प्रभारी (अकादमिक), साई एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम।
9. प्रभारी, एफओएसएस (I/C FOSS), एनएसएनआईएस, पटियाला।
10. एसओ से डीडीजी/वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक, साई एनएसएनआईएस, पटियाला — कृपया सूचनार्थ।
11. संबंधित फाइल।

